कार्यालय, जिला पंचायत बस्तर जिला, जगदलपुर (छ.ग.)

विज्ञापन

क्रमांक/4361/जिपं/भर्ती/स्था/2026–27 जगदलपुर, दिनांक 10/06/2026

छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक/3282/आर–1760/22–अ/2016, दिनांक 22–10–2016 एवं संचालक,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ 3–1/22–2/2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29–08–2024 एवं संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का आदेश क्रमांक 1251/PMAY-G/स्था/31/2024, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20–09–2024 तथा उपायुक्त, संचालनालय, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आदेश क्रमांक/2657/प्रमआयो–ग्रा /2026, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.05.2026 में दिये गये निर्देशानुसार **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रकोष्ठ** योजनान्तर्गत स्वीकृत पद के विरूद्व कार्यालय, जिला/जनपद, जिला बस्तर में निम्नानुसार विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक मूल निवासियों से **दिनांक 25/06/2026 को 05.30 बजे तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।** व्यक्तिगत या अन्य माध्यम से तथा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

2/ कार्यालय, जिला/जनपद पंचायत जिला बस्तर अंतर्गत पूर्व में नियुक्त/कार्यरत संविदा कर्मचारियों के द्वारा स्वेच्छा से त्याग–पत्र दिये जाने के एवज में निम्नानुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रसारित किया जा रहा है ।

(जिला/जनपद पंचायत हेतु संविदा पद)

क	संविदा पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित					अन्य पिछडा वर्ग					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					महायोग				
			मुक्त	महि.	विक.	भू0सै0	योग	मुक्त	महि.	विक.	भू0सै0	योग	मुक्त	महि.	विक.	भू0सै0	योग	मुक्त	महि.	विक.	भू0सै0	योग	मुक्त	महि.	विक.	भू0सै0	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	सहायक प्रोगामर (संविदा) जिला पंचायत स्तर के पद	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2	विकासखण्ड समन्वयक (संविदा) जनपद पंचायत स्तर के पद	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2
	योग	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3	-	-	-	3

टीप : आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है ।

<u>वेतन, अर्हता एवं मेरिट अंकों का निर्धारण</u> :–

क्रमांक	पदनाम	संविदा वेतन	निर्धारित अर्हता	मेरिट हेतु अंक का निर्धारण	
1–	सहायक प्रोग्रामर (संविदा)	35,165/– (लेवल–9)	1–मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से बी0ई0/बी0टेक (कम्प्युटर साईस/इलेक्ट्रानिक /आई0टी0) में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। अथवा एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर साईस/आई0टी0)/एम0सी0ए0 में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। 2–कम से कम 03 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव।	हायर सेकेण्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुये	20 अंक
				अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुये	30 अंक।
				शासकीय एवं गैर शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंकों का Weightage देते हुये (प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक) अधिकतम 20 अंक निर्धारित।	20 अंक
				कम्प्युटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंकों का Weightage देते हुये	20 अंक ।
				साक्षात्कार पर 100 अंकों का Weightage देते हुये	10 अंक।
				प्राथमिकता :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में कार्यानुभव को प्राथमिकता।	
2–	विकासखण्ड समन्वयक (संविदा)	39,875/– (लेवल–10)	1– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से बी.ई./बी.टेक में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। 2– कम से कम 02 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव	हायर सेकेण्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुये	20 अंक
				अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुये	30 अंक।
				शासकीय एवं गैर शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंकों का Weightage देते हुये (प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक) अधिकतम 20 अंक निर्धारित।	20 अंक
				कम्प्युटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंकों का Weightage देते हुये	20 अंक ।
				साक्षात्कार पर 100 अंकों का Weightage देते हुये	10 अंक।
				प्राथमिकता :– 1– शैक्षणिक संस्थाओं में अनुभव को प्राथमिकता। 2– निर्माण कार्य से संबंधित कार्य अनुभव को प्राथमिकता।	

उक्त संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम एवं शर्ते निम्नवत हैं :–

1– निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर के नाम से दिनांक25/06/2026 को सांय 5.30 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई–मेल अथवा अन्या इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नही किये जायेंगे। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नही किया जावेगा।

2– आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये लागू होंगे। आयु की गणना 01 जनवरी 2026 के आधार पर की जावेगी।

3– सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में सपथ पत्र संलग्न करना होगा।

4– आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।

5– आवेदक को छ0ग0 राज्य मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षक प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।

6– संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि 01 वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

7– यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9–1/2012/1–3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 एवं समय–समय पर लागू सभी अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होगी।

8– संविदा अवधि में छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।

9– संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।

10– संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

11– सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नही होगी।

12– जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों का मैरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिये बुलाया जायेगा, तदउपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुये अंतिम चयनसूची तैयार किया जावेगा।

13– सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जायेगा। 05 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।

14– शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

15– अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नही दी जावेगी।

16– लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।

17– आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।

18– आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

19– उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नही होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है, अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

20– नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

21– आवेदक एक से अधिक जिलों में एक ही पद में आवेदन हेतु पात्र नही होंगे। यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदक के समस्त आवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

नियम एवं अन्य शर्ते निम्नवत हैं :–

22– उपरोक्त विज्ञापित पदों हेतु केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं का ही अनुभव प्रमाण–पत्र मान्य होगा। अनुभव आवेदित पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र में समान कार्य/समान वेतन प्रकृति का होना अनिवार्य है ।

23– अनुभव प्रमाण–पत्र में अनुभव की अवधि स्पष्ट नहीं होने तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक व दिनांक उल्लेख नहीं होने पर अनुभव प्रमाण–पत्र अमान्य किया जावेगा । आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के उपरांत प्राप्त अनुभव के आधार पर अनुभव के अंक मान्य की जावेगी । अनुभव के अंकों की गणना कलेण्डर वर्ष 12 माह पूर्ण होने पर ही एक वर्ष की गणना की जावेगी । प्रशिक्षण एवं स्वेच्छा से/निःशुल्क कार्यानुभव मान्य नहीं किया जावेगा तथा अनुभव हेतु पदों में दिए गये आवश्यक वर्षो का सैलरी स्लिप/बैंक स्टेटमेंट आवश्यक है ।

24– आवेदक को अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति आदेश जिसमें कार्यालयीन जावक क्रमांक व दिनांक स्पष्ट उल्लेखित हो, की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा । अन्यथा की स्थिति में अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया जावेगा ।

25– भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों को उनके योग्यता के आधार पर पात्र/अपात्र करने का अधिकार चयन समिति को होगा।

26– **निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छानबीन उपरान्त अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति के लिए जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा तदउपरान्त पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को 1:10 के मान से कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के लिए बुलावा पत्र प्रेषित किया जावेगा।**

27– उच्चतर योग्यता के आधार पर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा ।

28– चयन प्रकिया के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उसके आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी ।

12317

29– **आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ दो लिफाफे जिस पर 40 एवं 40 रूपये का डाक टिकट चस्पा हो।**

30– आवेदक को अपने मूल आवेदन–पत्र के साथ समस्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण–पत्रों को स्वयं के द्वारा सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक तक वांछित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत दावा–आपत्ति प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी प्रकार के नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा । दावा–आपत्ति में केवल लिपकीय त्रुटि को मान्य करते हुए निराकरण किया जावेगा ।

31– छ0ग0 के मूल निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

32– ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंकसूची इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुआ है, इस संबंध में संबंधित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के संस्था प्रमुख द्वारा जारी गणना पत्रक/ऑनलाईन अंकतालिका की सत्यापित/प्रमाणित (पदमुद्रा/शील सहित) प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा । विज्ञापित पदों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है, अथवा निरस्त भी किया जा सकता है ।

आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप कार्यालयीन समय एवं दिवस पर जिला पंचायत बस्तर के सूचना पटल पर या www.bastar.gov.in पर देखी जा सकती है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बस्तर
जगदलपुर

संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम ....

संबंधित जिला का नाम ....

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत – ....

छत्तीसगढ़

अभ्यर्थी स्व–प्रमाणित फोटो चिपकाये

1. आवेदक का पूरा नाम (अ) हिन्दी में : ....

   (ब) अंग्रेजी में : ....

2. लिंग (महिला / पुरूष / तृतीय लिंग) : ....

3. जन्म तिथि (अ) अंको में : ....

   (ब) शब्दों में : ....

   (स) दिनांक 01-01-2026 को आयु वर्ष : .... माह .... दिन..........

4. वर्ग (सामान्य / अ.जा. / अ.ज.जा. / अपिव) : ....

5. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिंदी में) : ....

   : ....

6. स्थायी पता (हिंदी में) : ....

   : ....

7. मोबाईल नंबर : ....

8. ई–मेल आई डी : ....

9. आधार नंबर : ....

10. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :–

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	श्रेणी
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1							
2							
3							
4							
5							
6							

11. अनुभव का विवरण :—

क्र	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव समयावधि			
			दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

12. वैवाहिक स्थिति :—

क. विवाहित/अविवाहित : ....

ख. विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरी जावें : ....

विवाह का दिनांक : ....

ग. परिवार के संतान का विवरण :—

क्र.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म दिनांक
1.			
2.			
3.			

13. संलग्न प्रणाम पत्रों की सूची।

1. अनिवार्य अनुभव हेतु सैलेरी स्लिप/बैंक स्टेटमेंट।
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां पूर्ण एवं सत्य है। चयन होने तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक : ....

स्थान : ....

....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर